न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),सन्त कबीर नगर।

उपस्थितः कृष्ण कुमार–V, (उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O.Code-UP 6390)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–0510/2018
UPSK010029362018

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर।
.... अभियोजन

बनाम

1. बलिराम पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम–जमुहरा, थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर ।
..............अभियुक्त

मु0अ0संख्या–0225/2018
धारा–354ख भा0द0वि0 व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर।

1. राज्य द्वारा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अभिमन्यु पाल व श्री अनिल सिंह ।
2. अभियुक्त द्वारा, विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश तिवारी।

निर्णय

1. अभियुक्त **बलिराम** पर भा0द0वि0 की धारा–354ख व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–7/8 के दण्डनीय अपराधों के तहत आरोप है कि दिनांक–26.08.2018 को समय दिन में करीब 12:00 बजे बहद ग्राम–जमुहरा, थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता उम्र 14 वर्ष को सार्वजनिक स्थान पर लैंगिक आशय से व लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए विवस्त्र कर, लैंगिक हमला कारित किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अप्राप्तवय बालिका/फरियादिया को अधिनियम की धारा–33(7) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बालक की पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में **"अभियोक्त्री/पीड़िता"** लेखबद्ध किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा लक्ष्मी देवी द्वारा थानाध्यक्ष–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर को इस आशय की तहरीर दी गयी कि–

'' दिनांक–26.08.2018 के 12 बजे दिन में मेरा पड़ोसी बलराम पुत्र छोटेलाल हरिजन जब मैं छत पर कपड़ा उतारने गयी तो मुझे पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। मेरा मुँह दबा दिया था। मैं शोर नहीं कर पायी। मैं पांच तक पढ़ी हूॅ। मेरी जन्मतिथि 05.06.2004 है। मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। घर पर आने पर आज दिनंक 27.08.2018 को उनको बताई तथा थाने पर सूचना देने आयी हूॅ। निवेदन है कि मेरा मुकदमा लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। '' वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना–मेंहदावल में अभियुक्त बलराम के विरूद्ध मु0अ0संख्या–0225/2018, अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कुॅवर के विरूद्ध धारा–354ख भा0द0सं0 व धारा–16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप–पत्र दिनांकित–23.09.2018 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. दिनांक–26.10.2018 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त बलिराम के विरूद्ध धारा–**354ख भा0द0सं0 व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय 2012** के तहत आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किये जाने से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को प्रमाणित करने के लिये वादिनी मुकदमा/पीड़िता पी0डब्लू0–01, संजय गॉधी (प्रभारी प्रधानाध्यापक) पी0डब्लू0–02, पीड़िता के पिता पी0डब्लू0–03, डा0 निधि गुप्ता पी0 डब्लू0–4, उपनिरीक्षक चन्द्रभान तिवारी पी0डब्लू0–5 एवं निरीक्षक गौरव सिंह को पी0डब्लू0–6 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक–11.02.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत होने, अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत बयान देने, गलत प्रपत्र तैयार करने, रंजिशन मुकदमा चलाये जाने, पट्टीदारी व जमीन की रंजिश को लेकर झूठा फंसाये जाने व स्वयं को निर्दोष होने तथा सफाई में साक्ष्य दिये जाने का कथन किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए तहरीर वादिनी मुकदमा प्रदर्श क–1, धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान प्रदर्श क–2, एस.आर. रजिस्टर की स्व प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–3, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4, पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–5, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–6, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7,नक्शा नजरी प्रदर्श क–8 व आरोप–पत्र प्रदर्श क–प्रस्तुत किया गया है।

9. बचाव पक्ष की तरफ से अपने बचाव में **नाशपाती** को डी0डब्लू0–1 के रूप में शपथ पर परीक्षित कराया गया है।

मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विवरण:

10. **पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता** ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना दिनांक–26.08.2018 को दिन में 12 बजे की है। मैं अपने छत पर कपड़ा उतारने गयी थी। मेरी बगल का रहने वाला बलिराम मेरी छत पर आया और मुझे जबरन अपनी छत पर लेकर चला गया और मेरा मुँह दबा दिया,जिससे मैं चिल्ला नहीं पायी। बलिराम ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरूद्ध गलत कार्य किया। गलत काम का मतलब मैं जानती हूॅं। गलत काम का मतलब बलात्कार होता है। घटना वाली दिनांक को मेरे माता–पिता घर पर नहीं थे। अगले दिन जब मेरे मम्मी–पापा आये तब मैनें घटना के बारे में बताया तो थाने पर जाकर दरखाश दिया। दरखाश थाने पर जो दिया गया था, वह किसी व्यक्ति से लिखाकर दिया था। दरखाश शामिल पत्रावली 4क/4 है जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी पुष्टि मैं करती हूॅं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। जो बयान मैनें महिला सिपाही को दिया था, वह शामिल पत्रावली 4क/11 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है। मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हुआ था। धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान बलिराम के घर वालों के डराने व महिला सिपाही के दबाव में दी थी। बयान के बिन्दु B स्थान पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। आज जो बयान दे रही हूॅं, वह बिना किसी के दबाव के व अपनी स्वतंत्र मन से दे रही हूॅं। मैं कक्षा पॉच तक प्राथमिक विद्यालय जमोहरा में पढ़ी हूॅं। मेरी जन्मतिथि 05.06.2004 है। मैं बलिराम से प्यार नहीं करती हूॅं। ''

11. **पी0डब्लू0–2 संजय गॉधी** (प्रभारी प्रधानाध्यापक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' आज मैं न्यायालय के आदेश पर एस.आर.रजिस्टर सन् 2008 से 2018 तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमुहरा लेकर उपस्थित हूॅं। एस.आर.रजिस्टर के क्रमांक–1206 पर छात्रा पीड़िता का विवरण दर्ज है, जिसमें छात्रा के पिता का नाम राम अवतार व माता का नाम मंजू है। एस.आर.रजिस्टर पर छात्रा की जन्मतिथि 05.06.2004 दर्ज है। छात्रा मेरे विद्यालय में प्रवेश दिनांक 01.04.2015 को कक्षा 6 में ली थी। एक अन्यत्र नामांकन के कारण दि0–01.09.2017 को विद्यालय से उसका नाम काट दिया गया था। छात्रा मेरे विद्यालय में प्रवेश से पूर्व प्राथमिक विद्यालय जमुहरा से पढ़कर आयी थी। आज मैं एस.आर.रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मूल से मिलान कर दाखिल कर रहा हूॅं जिसके बिन्दु A तथा बिन्दु B पर मेरा ही हस्ताक्षर है, पुष्टि करता हूॅं, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। ''

12. **पी0डब्लू0–3 पीड़िता के पिता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना दिनांक 26.08.2018 की है। उस दिन रक्षा बन्धन का दिन था। मैं अपनी पत्नी मंजू देवी को लेकर अपनी ससुराल गॉव लोहरली चला गया था। जब अगले दिन मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आया तो मेरी पुत्री पीड़िता ने बताया कि दिनांक 26.08.2018 को गॉव के बलिराम पुत्र छोटेलाल हरिजन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिनांक–27.08.2018 को थाने पर गया था। मेरी बेटी ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। ''

13. **पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–28.08.2018 को मैं बतौर महिला चिकित्सक, संयुक्त जिला चिकित्सालय सं0क0नगर पर तैनात थी। उस दिन पीड़िता पुत्री राम अवतार साकिन जमुहरी थाना मेंहदावल को मेरे समक्ष मेडिकल जॉच हेतु मेंहदावल थाने की महिला पूनम राव द्वारा समय 12:30 पी.एम. पर लाया गया। पीड़िता ने अपनी अन्दरूनी तथा बाह्य जांच की अनुमति प्रदान की थी।
पहचान चिन्ह–ऊपर वाले होंठ के दाहिने 1 सेमी. ऊपर काले तिल का निशान मौजूद था। पीड़िता अपने पूर्ण होशोहवास में थी। पीड़िता की लम्बाई 150 सेमी, वजन 40 किग्रा., दॉत 14/16 था। बाह्य परीक्षण–पीड़िता के बाह्य शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। उसके कॉख तथा नीचे के बाल मौजूद थे। स्तन विकसित थे। LMP पीड़िता ने नहीं बताया। आन्तरिक परीक्षण– पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। हाईमन पुराना फटा था। पीड़िता का वेजाइनल स्मीयर बनाया गया तथा स्लाइड तैयार कर FSL जॉच हेतु महिला का0 को दिया गया। उम्र निर्धारण हेतु पीड़िता को रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली 4क/17 है, जो कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है,जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है, जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ। मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट तथा सी.एम.ओ. रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष ऑकी गयी। **अभिमत**–पीड़िता के साथ लैंगिग हिंसा के संबंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता। पूरक परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज संख्या–4क/19 है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जाता है। ''

प्रश्न–14 **पी0डब्लू0–5 चन्द्रभान तिवारी** (उपनिरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–27.08.2018 को मेरी तैनाती थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर में बहैसियत हेड मोहर्रिर के पद पर थी। वादिनी मुकदमा पुत्री राम अवतार हरिजन साकिन जमुहरा,थाना–मेंहदावल,जनपद संतकबीरनगर बहमराह पिता श्री राम अवतार हरिजन उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना–पत्र हिन्दी लिखित बदस्तखती खुद दिनांक–27.08.2018 दाखिल कार्यालय की दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर रपट नं0–39 समय 15:19 बजे दिनांक–27.08.2018 दिनांक घटना 26.08.2018 समय 12:00 बजे दिन घटनास्थल जमुहरा बफासला 5 किमी. पूरब मु0अ0संख्या–225/18,अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट,थाना–मेंहदावल बमुदैयत वादिनी उपरोक्त बनाम अभियुक्त बलराम पुत्र छोटेलाल हरिजन ग्राम–जमुहरा,थाना–मेंहदावल,जनपद–सन्तकबीरनगर बौतफतिशी गौरव सिंह थानाध्यक्ष, मेंहदावल CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया। थानाध्यक्ष थाने पर मौजूद थे। नकल चिक, नकल रपट विवेचनार्थ दी गयी, जो विवेचना में रवाना हुए। रोजनामचा नकल रपट पत्रावली में शामिल है,जिस पर कागज सं0–4क/10 है जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है,जिसे बिन्दु A से चिन्हित किया गया है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। FIR जो पत्रावली में संलग्न है जिस पर कागज सं0–4क/1 ता 4क/3 है जिस पर थानाध्यक्ष श्री गौरव सिंह का हस्ताक्षर है। इनके हस्ताक्षर को मैं भली–भांति जानता पहचानता हूॅ,

क्योंकि डाक संबंधी कागजात मेरे द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिसे बिन्दु B से चिन्हित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। ''

15. **पी0डब्लू0–6 गौरव सिंह** (निरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–''दिनांक 27.08.2018 को वादिनी पीड़िता पुत्री राम अवतार साकिन जमुहरा थाना मेंहदावल,जनपद– सन्त कबीर नगर द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0–225/18, अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट विरूद्ध बलिराम पुत्र छोटेलाल, साकिन जमुहरा, थाना– मेंहदावल, जनपद–सन्तकबीरनगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई। – वादिनी/पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया। वह नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/5 है, जिसके बिन्दु A पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है।– पीड़िता के बयान धारा–164 द0प्र0सं0के अवलोकन से पीड़िता द्वारा बलात्संग होने की बात नहीं कही गयी है जिससे धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचना जुर्म धारा–354ख व 16/17 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत संपादित की जायेगी।– अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी/पीड़िता धारा–161, 164 द0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त बलिराम पुत्र छोटेलाल हरिजन साकिन– जमुहरा,थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर के विरूद्ध आरोप पत्र, अन्तर्गत धारा– 354ख भा0द0सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0–3क/1 ता 3क/4 है, जिसके B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ,जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। ''

16. **डी0डब्लू0–1 नाशपाती** पत्नी जाहिर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–'' मैं खेती गृहस्ती का काम करती हूॅ। दिन रात अनवरत अपने घर पर रहती हूॅ। मेरा घर राम अवतार के घर के बगल में है। राम अवतार की लड़की पीड़िता है जिनको मैं भली–भांति जानती हूॅ और अपने गांव को बलराम पुत्र छोटेलाल को भी भली–भांति जानती पहचानती हूॅ। राम अवतार और छोटेलाल सगे पट्टीदार हैं। आज के बीसों साल पहले से जमीन के बॅटवारे को लेकर राम अवतार और छोटेलाल के बीच दश्मनी चली आ रही है। बलिराम घर का अकेला कमाऊ लड़का है। बाहर मजदूरी करता है। आज के साढ़े सात साल करीब हुआ, बारह बजे दिन का समय था। उस समय बलिराम पीड़िता के साथ उसके छत पर जबरदस्ती बुरा काम नहीं किया था, ना ही इस प्रकार की कोई घटना ही घटित हुई थी। पीड़िता बलिराम को फर्जी फॅसा दी है, जिससे उसका जीवन बरबाद हो जाये, वह निर्दोष है। जॉच में पुलिस आयी थी तो यही बात मैनें पुलिस वालों को भी बताया था। पीड़िता, कथित घटना के दिनों 19–20 साल की बालिग लड़की थी। वह अक्सर घर से महीनों गायब रहती थी। बलिराम पीड़िता के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया था। मैं आज बलिराम के कहने पर न्यायालय में सही बात कहने आयी हूॅ। ''

<u>विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस:</u>

17. अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने अवयस्क वादिनी मुकदमा/पीड़िता को सार्वजनिक स्थान

पर लैंगिक आशय से व लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए विवस्त्र कर छेड़छाड़ करते हुए लैंगिक हमला कारित किया। साक्षीगण के बयान से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित पाया जाता है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ घृणित व गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

18. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पीड़िता के धारा–161 व धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में विरोधाभाष है। तथ्य के साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। जमीनी रंजिश को लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित नहीं होता है। अभियुक्त को दोष मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक अन्तिम तर्क प्रस्तुत किये गये तथा बचाव पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनका अभिलेख पर उपस्थित साक्षीगण के साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से परिशीलन किया गया।

20. विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि जब तक कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे कानून के अनुसार साबित न हो जाए वह निर्दोष माना जाता है और इस सिद्धान्त के विरूद्ध अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विधि का यह भी सिद्धान्त है कि कोई निर्दोष को सजा न हो, लेकिन कोई दोषी छूटे ना। **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामबीर सिंह 2007** (6) S.C.C. 164 तथा A.I.R. 2003 S.C. 2978 **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामसेवक** के इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह देखना होगा कि परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित किया है या नहीं ?

21. प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है, जिसके बारे में विधायिका द्वारा विशेष विधायन बनाया गया है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजन पक्ष को अपना मामला सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी भी दुर्बलता का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता तथा विचारण प्रारम्भ होने के साथ अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है, जबकि पाक्सो अधिनियम, 2012 सामान्य दण्डशास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सों अधिनियम की धारा–29 अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा करती है तथा धारा–30 पाक्सों अधिनियम अपराध की मनः स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है।

22. पाक्सों अधिनियम की धारा–29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा–जहॉ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा–3, धारा–5, धारा–7 और धारा–9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहॉ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

23. <u>पाक्सों अधिनियम की धारा–30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा</u>–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्ति–युक्त सन्देह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

धारा–29 से ही स्पष्ट है कि इसके अधीन उपधारणा अधिनियम 2012 की धारा 3,5,7 तथा 9 में परिभाषित अपराध, उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्न के बारे में लागू होती है। शेष अपराधों के बारे में धारा–29 लागू नहीं होती है।

धारा–3 और धारा–5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के अपराधों में अधिनियम 2012 की धारा–30 की उपधारणा लागू नहीं होगी क्योंकि अधिनियम की धारा–30 'आपराधिक मानसिक दशा' की उपस्थिति का प्रावधान करती है और धारा–30 के स्पष्टीकरण में आपराधिक मानसिक दशा के अन्तर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण होने का प्रावधान है, जबकि धारा–3 और 5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिक दशा अर्थात आशय या ज्ञान या हेतुक या विश्वास करने के कारण होना आवश्यक नहीं है।

धारा–29 की उपधारणा लागू होने के लिए अभियोजन को प्राथमिक तथ्य स्थापित करने होते हैं,तभी धारा–29 लागू होती है। धारा–30 केवल आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करती है और इसके लिए भी प्राथमिक तथ्य अभियोजन को स्थापित करने होते हैं।

24. इस प्रकार न्यायालय पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने, अभियुक्त की मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु बाध्य है। अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है, किन्तु उसकी उपधारणा खण्डनीय है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य से इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

25. नवीन डी0 बारिये बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018, सी0आर0एल0जे0 3393 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम 2012 की धारा–29 में उपबन्धित उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध निरपेक्ष नहीं है, बल्कि खण्डनीय है। यह उपधारणा तब लागू होती है, जब अभियोजन प्रथमतः प्राथमिक तथ्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है।

26. मिस–ईरा द्वारा डा0 मंजूलता बनाम स्टेट, एन0सी0टी0 दिल्ली, ए0 आई0 आर0 2017 एस0सी0 3457, के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम 2012 की धारा–2(1)(डी) में परिभाषित बालक से तात्पर्य उसकी भौतिक आयु से है, न कि मानसिक आयु से

है। 18 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति बालक की परिभाषा में आता है। आयु के निष्कर्ष के बाद आयु को अपराध के प्रमाणित करने के लिए दी गयी साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।

न्यायालय के लिए आवश्यक है कि इन उपधारणाओं को लेते समय पहले अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करें और यह देखें कि क्या अभियोजन ने प्राथमिक तथ्य स्थापित कर दिये हैं, उसके बाद निर्णय में उपधारणा का उल्लेख करते हुए उसे लेने के बारे में उल्लेख करें।

27. धारा–354(1)(b) द0प्र0सं0, 1973 अब वर्तमान में धारा–393(1)(b) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण में साक्ष्य के बेहतर विश्लेषण निम्नलिखित निश्चायक बिन्दु अवधारित किये जाते है–

i- क्या घटना दिनॉक–26.08.2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत **''बालक''** की श्रेणी में आती हैं ?

ii- क्या दिनांक–26.08.2018 को अभियुक्त बलिराम ने अवयस्क वादिनी मुकदमा/पीड़िता को आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए निर्वस्त्र कर छेड़छाड़ किया ?

iii- क्या अभियुक्त ने लैंगिक आशय से अवयस्क वादिनी मुकदमा/पीड़िता का निर्वस्त्र कर, उसके अंगों को स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला कारित किया।

निष्कर्ष व उसके आधारः–

28. विचारणीय प्रश्न कमांक–1 की विवेचना एवं निष्कर्षः–

i– क्या घटना दिनॉक–26.08.2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ''बालक'' की श्रेणी में आती है ?

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में एवं मुख्य परीक्षा बयान में अपनी जन्मतिथि दिनांक–05.06.2004 बताया है। पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में अपनी उम्र 17 वर्ष बताया है। प्रधानाध्यापक संजय गॉधी पी0डब्लू0–2 के अनुसार एस.आर. रजिस्टर प्रदर्श क–3 में पीड़िता की जन्मतिथि 05.06.2004 दर्ज है। पी0 डब्लू0–4 डा0निधि गुप्ता के अनुसार सप्लीमेण्ट्री रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के स्कूल के अंक–पत्र कागज सं0–4क/12 में पीड़िता की जन्मतिथि 05.06.2004 अंकित है।

29. पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विधि **Jarnail Singh V. State of Haryana 2013 Cri.L.J. 3976 S.(B) Penal Code (45 of 1860), S.376–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Rules (56 of 2000), R–12–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act (56 of 2000), S.68–RAPE–JUVENILE OFFENDER–Rape–Age of prosecutrix–Determination–Manner provided under R. 12 of 2007 Rules ought to be followed– There is no difference**

as regards minority between child in conflict of law and child who is victim of crime. अभिनिर्धारित की गई है।

30. प्रथम सूचना रिपोर्ट व तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना दिनॉक–26.08.2018 की है। SR रजिस्टर प्रदर्श क–3 में पीड़िता की जन्मतिथि 05.06.2004 दर्ज है। इस प्रकार घटना दिनॉक–26.08.2018 को अभियोक्त्री/पीड़िता की उम्र **14 वर्ष 02 माह 21 दिन** होकर 18 वर्ष से कम है, जिसे अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह **''बालक''** की श्रेणी में आती है। तद्नुसार **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1** का निराकरण किया जाता है।

31. <u>विचारणीय प्रश्न कमांक–ii व iii की विवेचना एवं निष्कर्षः–</u>

ii- क्या दिनांक–26.08.2018 को अभियुक्त बलिराम ने अवयस्क वादिनी मुकदमा/पीड़िता को आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए निर्वस्त्र कर छेड़छाड़ किया ?

iii- क्या अभियुक्त ने लैंगिक आशय से अवयस्क वादिनी मुकदमा/पीड़िता का निर्वस्त्र कर, उसके अंगों को स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला कारित किया।

उपरोक्त दोनों प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण एक साथ विवेचित किया जा रहा है जिससे साक्ष्यों के पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

32. अभियुक्त कुंवर के विरूद्ध **धारा–354ख भा0द0वि0** व **धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** का आरोप लगाया गया है। अतः धारा–354ख भा0द0वि0 व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान/परिभाषा का उल्लेख करना न्यायसंगत होगा।

धारा–354(ख) भा0द0सं0– विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोगः–

कोई पुरूष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए विवश करने के आशय से उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–7 लैंगिक हमलाः–जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है,लैंगिक हमला करता है,यह कहा जाता है।

धारा–8 लैंगिक हमले के लिए दंड :–जो कोई, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

33. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पीड़िता के धारा–161 व धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में विरोधाभाष है। तथ्य के साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। जमीनी रंजिश को लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित नहीं होता है। अभियुक्त को दोष मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र एवं साक्षीगण के बयानों का सम्यक परिशीलन किया गया।

34. **पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता** ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना दिनांक–26.08.2018 को दिन में 12 बजे की है। मैं अपने छत पर कपड़ा उतारने गयी थी। मेरी बगल का रहने वाला बलिराम मेरी छत पर आया और मुझे जबरन अपनी छत पर लेकर चला गया और मेरा मुॅह दबा दिया,जिससे मैं चिल्ला नहीं पायी। बलिराम ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरूद्ध गलत कार्य किया। गलत काम का मतलब मैं जानती हूॅ। गलत काम का मतलब बलात्कार होता है। घटना वाली दिनांक को मेरे माता–पिता घर पर नहीं थे। अगले दिन जब मेरे मम्मी–पापा आये तब मैनें घटना के बारे में बताया तो थाने पर जाकर दरखाश दिया। दरखाश थाने पर जो दिया गया था, वह किसी व्यक्ति से लिखाकर दिया था। दरखाश शामिल पत्रावली 4क/4 है जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी पुष्टि मैं करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। जो बयान मैनें महिला सिपाही को दिया था, वह शामिल पत्रावली 4क/11 है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है। मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हुआ था। धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान बलिराम के घर वालों के डराने व महिला सिपाही के दबाव में दी थी। बयान के बिन्दु B स्थान पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। आज जो बयान दे रही हूॅ, वह बिना किसी के दबाव के व अपनी स्वतंत्र मन से दे रही हूॅ। मैं कक्षा पॉच तक प्राथमिक विद्यालय जमोहरा में पढ़ी हूॅ। मेरी जन्मतिथि 05.06.2004 है। मैं बलिराम से प्यार नहीं करती हूॅ। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' बलिराम रिस्ते में हमारा बाबा लगता है। मेरा घर बलिराम के घर से सटा हुआ है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ, फिर कहा कक्षा–पांच तक पढ़ी हूॅ। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। दो–तीन साल पढ़ी थी, फिर छोड़ दी थी। स्कूल में नाम लिखाने मेरे मम्मी और पापा दोनों आदमी गये थे। स्कूल में नाम लिखाते समय मेरे मम्मी–पापा उम्र मेरी कम लिखाये थे। बलिराम मुझसे उम्र में बड़ा था। कितना दिन बड़ा था, मुझे नहीं मालूम। मैं और बलिराम आपस में खेलते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं घटना के पहले बलिराम से प्यार करती थी। मुझसे तथा बलिराम के बीच में घटना के पहले दुश्मनी थी। मेरे पिता वगैरह से घटना के पहले से बलिराम के परिवार से जमीनी

दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी के नाते मेरे घर वाले बलिराम को नामजद कर दिये। घटना के दिन मेरे परिवार वाले घर पर मौजूद नहीं थे, नानी के घर पर गये थे। घर पर मैं तथा मेरा छोटा भाई महेन्द्र (दस–ग्यारह साल) ही था। मेरे छत और बलिराम के छत के बीच में कोई दीवार नहीं है।–घटना के समय बलिराम के माता–पिता, भाई–भाभी पूरा परिवार घर पर ही थे। बलिराम सीधा–साधा लड़का नहीं है, गलत लड़का है। मैं बलिराम से प्यार नहीं करती थी। मेरे माता–पिता मुझसे रिपोर्ट लिखाने चलने के लिए कहे थे। दरोगा जी मेरी बात सुनकर एक आदमी से रिपोर्ट लिखवाये। जिसने रिपोर्ट लिखी, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। घटना के समय मेरा छोटा भाई महेन्द्र छत पर नहीं था, बाद में वह आया। जब मेरा भाई छत पर पहुॅचा तब तक बलिराम भाग चुका था। छत पर न मैं शोर मचाई, न ही मेरा भाई छत पर शोर मचाया। मैनें घटना पप्पू, दिस्मभर, संजय, ध्रुव, हरिहर आदि को बताया। जब मैं थाने पर पहुॅची, बलिराम वहॉ मौजूद था। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गये थे।– आज मैं किसी के दबाव में बयान नहीं दे रही हूॅ। उस दिन जज साहब के यहॉ मैं दबाव में बयान दी थी। उस दिन महिला सिपाही मुझे धमकायी थी। यह कहना गलत है कि बलिराम छत पर नहीं गया था, न मेरा कपड़ा उतरवाया था, न मेरे साथ बलात्कार किया था। यह भी कहना गलत है कि दुश्मनी के कारण तथा सरकार से पैसा पाने के लालच में अपने बाप के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट लिखाई।

न्यायालय द्वारा पूछने पर पीड़िता ने बताया कि–'' मैनें मजिस्ट्रेट को महिला सिपाही के दबाव में बयान दिया था। घटना के समय मैनें फ्राक पहन रखी थी। बलिराम ने मेरी फ्राक फाड़ दी थी। मैनें पुलिस को फटी हुई फ्राक दी थी। मैं छत पर गीले कपड़े सुखाने गयी थी। तब बलिराम ने मुझे कमरे में ले गया था। मेरा मुॅह बन्द कर दिया था, इसलिए मैं शोर नहीं मचा पायी थी। मेरे साथ बलिराम ने गलत काम भी किया था। ''

पीड़िता ने **धारा–164 द0प्र0सं0** के बयान में कथन किया है कि–'' मैं और बलिराम पुत्र छोटेलाल आपस में प्यार करते थे। मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरे घर वालों ने यह मुकदमा लिखवा दिया। बलिराम ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था, केवल कपड़ा भर उतारा था। मैं छत पर कपड़ा उतारने गयी थी। बलिराम ने मुझे अपनी बगल के छत के कमरे में बुलाया तो मैं उसके पास गयी थी। मेरे भाई (छोटे) ने मुझे बलिराम के साथ देख लिया। मेरे मॉ–बाप घर पर नहीं थे। उनके आने पर भाई ने उन्हें बताया, तब मेरे मॉ–बाप ने मुझे थाने ले जाकर रपट लिखवायी। ''

प्रकरण में सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण व चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–1 पीड़िता के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने बयान में घटना का दिनांक, समय तथा घटनास्थल छत की पुष्ट किया है। यद्यपि पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त बलिराम द्वारा उसके साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किये जाने का कथन किया है, तथापि इसकी पुष्टि प्रतिपरीक्षा एवं धारा–164 द0प्र0सं0 में दिये गये बयान से नहीं होती है। मुख्य परीक्षा में पीड़िता ने बयान दिया कि–'' मेरे बगल का रहने वाला बलिराम मेरी छत पर आया और मुझे जबरन अपनी छत पर लेकर चला गया और मेरा मुॅह दबा दिया,जिससे मैं चिल्ला नहीं पायी। बलिराम ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरूद्ध गलत कार्य किया। गलत काम का मतलब मैं जानती हूॅ। गलत काम का मतलब बलात्कार होता

है।'' जबकि प्रतिपरीक्षा में इसी पीड़िता ने कथन किया है कि–'' मुझसे तथा बलिराम के बीच में घटना के पहले दुश्मनी थी। मेरे पिता वगैरह से घटना के पहले से बलिराम के परिवार से जमीनी दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी के नाते मेरे घर वाले बलिराम को नामजद कर दिये। '' आगे कथन किया है कि '' मेरे माता–पिता मुझसे रिपोर्ट लिखाने चलने के लिए कहे थे। दरोगा जी मेरी बात सुनकर एक आदमी से रिपोर्ट लिखवाये। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर पीड़िता ने बताया कि मैं छत पर गीले कपड़े सुखाने गयी थी। तब बलिराम ने मुझे कमरे में ले गया था। मेरा मुँह बन्द कर दिया था, इसलिए मैं शोर नहीं मचा पायी थी। मेरे साथ बलिराम ने गलत काम भी किया था। '' जबकि इसी पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया है कि वह और बलिराम आपस में प्यार करते थे। मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरे घर वालों ने यह मुकदमा लिखवा दिया। बलिराम ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था, केवल कपड़ा भर उतारा था। मैं छत पर कपड़ा उतारने गयी थी। बलिराम ने मुझे अपनी बगल के छत के कमरे में बुलाया तो मैं उसके पास गयी थी। मेरे भाई (छोटे) ने मुझे बलिराम के साथ देख लिया। मेरे मॉ–बाप घर पर नहीं थे। उनके आने पर भाई ने उन्हें बताया, तब मेरे मॉ–बाप ने मुझे थाने ले जाकर रपट लिखवायी। '' इस तरह पीड़िता के समग्र बयानों से बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में आत्म–विरोधाभाषी बयान दिया है। अपने धारा–164 द0प्र0सं0 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–'' बलिराम ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था। केवल कपड़ा भर उतारा था। इस तरह पीड़िता के बयान के अनुसार अभियुक्त बलिराम द्वारा वादिनी को एकान्त में पाकर लैंगिक हमला के आशय से पीड़िता के कपड़े फ्राक फाड़कर उतार दिया, तभी पीड़िता के भाई के देखे जाने पर वहॉ से अभियुक्त के भागे जाने की बात से घटना की पुष्टि होती है, परन्तु बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं होती है।

35. **पी0डब्लू0–2 संजय गॉधी** (प्रभारी प्रधानाध्यापक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' आज मैं न्यायालय के आदेश पर एस.आर.रजिस्टर सन् 2008 से 2018 तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमुहरा लेकर उपस्थित हूँ। एस.आर.रजिस्टर के क्रमांक–1206 पर छात्रा पीड़िता का विवरण दर्ज है, जिसमें छात्रा के पिता का नाम राम अवतार व माता का नाम मंजू है। एस.आर.रजिस्टर पर छात्रा की जन्मतिथि 05.06.2004 दर्ज है। छात्रा मेरे विद्यालय में प्रवेश दिनांक 01.04.2015 को कक्षा 6 में ली थी। एक अन्यत्र नामांकन के कारण दि0–01.09.2017 को विद्यालय से उसका नाम काट दिया गया था। छात्रा मेरे विद्यालय में प्रवेश से पूर्व प्राथमिक विद्यालय जमुहरा से पढ़कर आयी थी। आज मैं एस.आर.रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मूल से मिलान कर दाखिल कर रहा हूँ जिसके बिन्दु A तथा बिन्दु B पर मेरा ही हस्ताक्षर है, पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–2 प्रधानाध्यापक ने कथन किया है कि मेरे कार्यरत रहते वक्त छात्रा/पीड़िता का प्रवेश मेरे स्कूल में नहीं हुआ। हमारे स्कूल में वह प्राइमरी पाठशाला जमुहरा से पढ़कर आयी थी। यह टी.सी. मेरे स्कूल से छात्रा का कब जारी हुआ, मैं नहीं बता सकता। ''

पी0डब्लू0–2 प्रधानाध्यापक के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिनके द्वारा न्यायालय में एस.आर. रजिस्टर से मिलान कर पीड़िता के जन्मतिथि 05.06.2004 को तस्दीक किया है।

36. **पी0डब्लू0–3 पीड़िता के पिता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना दिनांक 26.08.2018 की है। उस दिन रक्षा बन्धन का दिन था। मैं अपनी पत्नी मंजू देवी को लेकर अपनी ससुराल गॉव लोहरली चला गया था। जब अगले दिन मैं अपनी पत्नी के साथ वापस आया तो मेरी पुत्री पीड़िता ने बताया कि दिनांक 26.08.2018 को गॉव के बलिराम पुत्र छोटेलाल हरिजन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिनांक–27.08.2018 को थाने पर गया था। मेरी बेटी ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' मैनें पीड़िता को सरकारी स्कूल जमुहरा में दाखिला कराया था। मेरी लड़की घर पर पैदा हुई थी। कोई जन्मपत्री किसी पंडित से नहीं लिखवाया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूॅ। मैनें अपनी लड़का का सरकारी स्कूल में कक्षा एक में नाम लिखवाया था। मुझे नहीं मालूम है कि अपनी लड़की की उम्र दाखिला के समय मैनें पॉच साल बताया था कि दस साल। स्कूल में बच्चों का नाम माता–पिता कम लिखाते है। मुझे मेरी लड़की जन्मतिथि नहीं मालूम है। मेरी लड़की पीड़िता इस कथित घटना के पहले मुझसे बलिराम के बारे में कुछ नहीं बतायी थी। मेरी लड़की ने मुझे यह बतायी कि बलिराम ने मेरे साथ गलत काम किया है, तब मैं थाने पर अपनी लड़की के साथ गया था। थाने पर दरोगा जी से मैं स्वयं मिला और सारी बात दरोगा जी को बताया। ''

पी0डब्लू0–3 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने स्वयं अपनी ऑखों से घटना नहीं देखी है। घटना के दिन उक्त साक्षी अपने ससुराल में था, वापस आने पर उसकी पुत्री पीड़िता से घटना के बारे में जानकारी हुआ। उक्त साक्षी का बयान अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

37. **पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–28.08.2018 को मैं बतौर महिला चिकित्सक, संयुक्त जिला चिकित्सालय सं0क0नगर पर तैनात थी। उस दिन पीड़िता पुत्री राम अवतार साकिन जमुहरी थाना मेंहदावल को मेरे समक्ष मेडिकल जॉच हेतु मेंहदावल थाने की महिला पूनम राव द्वारा समय 12:30 पी.एम. पर लाया गया। पीड़िता ने अपनी अन्दरूनी तथा बाह्य जांच की अनुमति प्रदान की थी। पहचान चिन्ह– ऊपर वाले होंठ के दाहिने 1 सेमी. ऊपर काले तिल का निशान मौजूद था। पीड़िता अपने पूर्ण होशोहवास में थी। पीड़िता की लम्बाई 150 सेमी, वजन 40 किग्रा., दॉत 14/16 था। बाह्य परीक्षण–पीड़िता के बाह्य शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। उसके कॉख तथा नीचे के बाल मौजूद थे। स्तन विकसित थे। LMP पीड़िता ने नहीं बताया। आन्तरिक परीक्षण– पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। हाईमन पुराना फटा था। पीड़िता का वेजाइनल स्मीयर बनाया गया तथा स्लाइड तैयार कर FSL जॉच हेतु महिला का0 को दिया गया। उम्र निर्धारण हेतु पीड़िता को रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली 4क/17 है, जो कि मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी है,जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है, जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ। मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट तथा सी.एम.ओ. रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष ऑकी गयी। **अभिमत**–पीड़िता के साथ

लैंगिग हिंसा के संबंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता। पूरक परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज संख्या–4क/19 है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जाता है। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता ने कथन किया है कि–''पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष ऑकी गयी है। वह उम्र दो साल कम 15 वर्ष तथा दो वर्ष अधिक 19 वर्ष भी हो सकती है। हाईमन की झिल्ली कूदने से, काम करने से, गिरने से प्राकृति कारणों से भी फट सकती है। ''

पी0डब्लू0–4 चिकित्सक साक्षी के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या को तस्दीक किया है। उक्त चिकित्सक साक्षी द्वारा चिकित्सीय आख्या में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं पाया गया। यद्यपि चिकित्सक द्वारा पीड़िता के हाईमन की झिल्ली फटी हुई नहीं पाया गया, तथापि पीड़िता के साथ लैंगिक हिंसा अर्थात दुष्कर्म किये जाने के बाबत चोट या चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष ऑकी गयी है।

38. **पी0डब्लू0–5 चन्द्रभान तिवारी** (उपनिरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–27.08.2018 को मेरी तैनाती थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर में बहैसियत हेड मोहर्रिर के पद पर थी। वादिनी मुकदमा पुत्री राम अवतार हरिजन साकिन जमुहरा,थाना–मेंहदावल,जनपद संतकबीरनगर बहमराह पिता श्री राम अवतार हरिजन उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना–पत्र हिन्दी लिखित बदस्तखती खुद दिनांक–27.08.2018 दाखिल कार्यालय की दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर रपट नं0–39 समय 15:19 बजे दिनांक–27.08.2018 दिनांक घटना 26.08.2018 समय 12:00 बजे दिन घटनास्थल जमुहरा बफासला 5 किमी. पूरब मु0अ0संख्या–225/18,अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट,थाना–मेंहदावल बमुदैयत वादिनी उपरोक्त बनाम अभियुक्त बलराम पुत्र छोटेलाल हरिजन ग्राम–जमुहरा,थाना–मेंहदावल,जनपद–सन्त कबीर नगर बौतफतिशी गौरव सिंह थानाध्यक्ष, मेंहदावल CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया। थानाध्यक्ष थाने पर मौजूद थे। नकल चिक, नकल रपट विवेचनार्थ दी गयी, जो विवेचना में रवाना हुए। रोजनामचा नकल रपट पत्रावली में शामिल है,जिस पर कागज सं0–4क/10 है जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है,जिसे बिन्दु A से चिन्हित किया गया है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। FIR जो पत्रावली में संलग्न है जिस पर कागज सं0–4क/1 ता 4क/3 है जिस पर थानाध्य क्ष श्री गौरव सिंह का हस्ताक्षर है। इनके हस्ताक्षर को मैं भली–भांति जानता पहचानता हूॅ, क्योंकि डाक संबंधी कागजात मेरे द्वारा इनके समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिसे बिन्दु B से चिन्हित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' मुकदमा कायमी के समय तत्कालीन थानाध्यक्ष मौजूद थे। यह मुकदमा धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में कायम किया गया था। बाद में धारा तरमीम किया गया या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ''

पी0डब्लू0–5 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने वादिनी के प्रार्थना–पत्र पर मुकदमा दर्ज किया जाकर न्यायालय में कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 को तस्दीक किया है।

39. **पी0डब्लू0–6 गौरव सिंह** (निरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–''दिनांक 27.08.2018 को वादिनी पीड़िता पुत्री राम अवतार साकिन जमुहरा थाना मेंहदावल,जनपद–सन्त कबीर नगर द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0–225/18, अन्तर्गत धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट विरूद्ध बलिराम पुत्र छोटेलाल, साकिन जमुहरा, थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्तकबीरनगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई। – वादिनी/पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया। वह नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/5 है, जिसके बिन्दु A पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है।– पीड़िता के बयान धारा–164 द0प्र0सं0के अवलोकन से पीड़िता द्वारा बलात्संग होने की बात नहीं कही गयी है जिससे धारा–376 भा0द0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचना जुर्म धारा–354ख व 16/17 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत संपादित की जायेगी।– अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी/पीड़िता धारा–161, 164 द0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त बलिराम पुत्र छोटेलाल हरिजन साकिन–जमुहरा,थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर के विरूद्ध आरोप पत्र, अन्तर्गत धारा–354ख भा0द0सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0–3क/1 ता 3क/4 है, जिसके B बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ,जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। ''

प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–'' दौरान विवेचना पीड़िता के उम्र के बाबत शैक्षिक प्रमाण–पत्र मुझे मिला था। उम्र के बारे में मैनें मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। मेडिकल में पीड़िता की उम्र लगभग 17 साल आयी थी। मैं यह नहीं कह सकता कि वह 19 साल की हो सकती है। यह मुकदमा पहले धारा–376 में कायम किया गया था। महिला डाक्टर के बयान से भी पीड़िता के साथ रेप का कोई चिन्ह नहीं मिला था और ना ही पीड़िता के बयान में रेप की बात कही गयी। मैनें किसी आस पास के व्यक्ति का बयान नहीं लिया था, भलाई बुराई के कारण कोई बयान के लिए तैयार नहीं हुआ था। पीड़िता और वादी मुकदमा के अलावा घटना का कोई चश्मदीद साक्षी मुझे नहीं मिला था और ना ही कोई बयान दर्ज किया था। दौरान विवेचना वादी मुकदमा और अभियुक्त के घर वालों के बीच कोई दुश्मनी का साक्ष्य नहीं मिला था। ''

पी0डब्लू0–6 विवेचक के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी विवेचक औपचारिक साक्षी है। दौरान विवेचना, इसने वादिनी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा–नजरी तैयार कर, न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया। इस साक्षी ने पीड़िता के बयान धारा–164 द0प्र0सं0, चिकित्सीय परीक्षण आख्या से बलात्कार की पुष्टि नहीं होने पर धारा–376 भा0द0सं0 का लोप किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया, जिसे बयानों से तस्दीक किया।

40. डी0डब्लू0–1 नाशपाती पत्नी जाहिर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–'' मैं खेती गृहस्ती का काम करती हूॅ। दिन रात अनवरत अपने घर पर रहती हूॅ। मेरा घर राम अवतार के घर के बगल में है। राम अवतार की लड़की पीड़िता है जिनको मैं भली–भांति जानती हूॅ और अपने गांव को बलराम पुत्र छोटेलाल को भी भली–भांति जानती पहचानती हूॅ। राम अवतार और छोटेलाल सगे पट्टीदार हैं। आज के बीसों साल पहले से जमीन के बॅटवारे को लेकर राम अवतार और छोटेलाल के बीच दश्मनी चली आ रही है। बलिराम घर का अकेला कमाऊ लड़का है। बाहर मजदूरी करता है। आज के साढ़े सात साल करीब हुआ, बारह बजे दिन का समय था। उस समय बलिराम पीड़िता के साथ उसके छत पर जबरदस्ती बुरा काम नहीं किया था, ना ही इस प्रकार की कोई घटना ही घटित हुई थी। पीड़िता बलिराम को फर्जी फॅसा दी है, जिससे उसका जीवन बरबाद हो जाये, वह निर्दोष है। जॉच में पुलिस आयी थी तो यही बात मैनें पुलिस वालों को भी बताया था। पीड़िता, कथित घटना के दिनों 19–20 साल की बालिग लड़की थी। वह अक्सर घर से महीनों गायब रहती थी। बलिराम पीड़िता के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया था। मैं आज बलिराम के कहने पर न्यायालय में सही बात कहने आयी हूॅ। ''

प्रतिपरीक्षा में डी0डब्लू0–1 ने कथन किया है कि–'' किसी दूसरे के घर में क्या हो रहा है, मैं नहीं बता सकती हूॅ। केवल अपने घर का बता सकती हूॅ। जब बलिराम को पुलिस पकड़ी थी, तब हमको घटना की जानकारी हुई। जमीनी को लेकर कभी मारपीट नहीं हुई। बलिराम राम अवतार के घर आते जाते हैं। ''

डी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस साक्षी को घटना की जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने कहा कि वह केवल अपने घर का बता सकती है। ऐसी स्थिति में पीड़िता के साथ बलिराम द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य की जानकारी नहीं होने पर उक्त हितबद्ध साक्षी के बयान से यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता असत्य बोल रही है और ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुआ है।

45. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि एफ0आई0आर0 बिलम्ब से लिखायी गयी है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना दिनांक–26.08.2018 के 12 बजे दिन की है तथा इसकी सूचना अगले दिन दिनांक–27.08.2018 को थाने पर दिया गया है। अतः अगले ही दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में विलम्ब कारित किया गया है। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

46. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान में विरोधाभाष है। पीड़िता का बयान अविश्वसनीय है।

इस संबंध में अभियोजन प्रपत्रों एवं साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना दिनांक 26.08.2018 की है,जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना

के पश्चात आरोप–पत्र न्यायालय में दिनांक–23.10.2018 को प्राप्त कराया गया है जिस पर संज्ञान लिया जाकर आरोप विरचित किया गया है। तत्पश्चात दिनांक–21.05.2019 को पीड़िता का बयान हुआ है तथा पी0डब्लू0–3 साक्षी राम अवतार का बयान दिनांक–13.01.2025 को हुआ है। इस तरह घटना के काफी दिनों के पश्चात साक्षीगण का बयान हुआ है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ग्रामीण परिवेश की नाबालिग लड़की है और काफी समय पश्चात उसका बयान होने से थोड़ा–बहुत विरोधाभाष आना, स्वाभाविक है।

महमूद एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (2009) 1 पेज 763 एवं **कल्पेश कुमार बनाम स्टेट आफ गुजरात 2002 (45) ए0सी0सी0 पेज–161 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई विरोधाभाष एवं विसंगति न हो। यदि कोई विरोधाभाष एवं विसंगति मामले की जड़ तक प्रभावित करे और अपराध घटित होने में पूरी तरह शंका पैदा करे, तब तो ठीक है, अन्यथा ऐसे विरोधाभाष और विसंगति को ध्यान में नहीं रखना चाहिये। अतः उपरोक्त बयान एवं निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

47. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि एफ0आई0आर0 में बलात्कार की बात नहीं लिखायी गयी है और चिकित्सीय आख्या से भी बलात्कार के घटना की पुष्टि नहीं होती है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों एवं साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ छत पर जबरदस्ती बुरा काम किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु स्पष्ट रूप से दुष्कर्म या बलात्कार या प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किये जाने का कथन नहीं किया गया है। तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमला का साक्ष्य नहीं पाये जाने पर उपरोक्त धारायें विलोपित किया गया। वादहू विवेचना के पश्चात अभियुक्त बलिराम के विरूद्ध धारा–354ख एवं 16/17 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र प्राप्त होने पर प्रसंज्ञान लिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप–पत्र प्राप्त न होने पर, अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के बाबत अपराध के संबंध में आरोप विरचित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार एवं प्रवेशल लैंगिक हमला के तहत आरोप पत्र नहीं पाये जाने पर तद्नुसार आरोप भी विरचित नहीं किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध बलात्कार का अपराध नहीं पाया जाता है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में बल मिलता है।

48. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन का विवाद है और इसी जमीन के विवाद के कारण दुश्मनीवश अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षों

के मध्य जमीन का विवाद है, परन्तु किस जमीन का तथा कब से विवाद है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वादिनी ने अपने बयान में किसी भी जमीन के विवाद से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

49. बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित विधि–व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है–

1. 2025 (132) ACC 1000,
2. 2023 (122) ACC 574,
3. 2002 SCC (Cri) Page 350,

उक्त विधि–व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त विधिक निर्णयज के तथ्य व परिस्थितियॉ, प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण, प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

50. प्रस्तुत प्रकरण के मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्रतया दर्ज कराया गया है तथ पीड़िता ने घटना वाले दिन और समय पर अभियुक्त बलिराम द्वारा पीड़िता को विवस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ किया गया है और पीड़िता को निर्वस्त्र कर, उसके अंगों को स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला कारित किया जाना, साबित पाया जाता है। साक्षीगण के बयानों में थोड़ा–बहुत विरोधाभाष आने से सम्पूर्ण घटना को नकारा नहीं जा सकता। तद्नुसार अवधारणीय प्रश्न क्रमांक संख्या–ii व iii का निराकरण किया जाता है।

51. उपरोक्त मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त निर्णयज विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विश्लेषणोपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त बलिराम के विरूद्ध धारा–354ख भा0द0सं0 व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त बलिराम, धारा–354ख भा0द0सं0 व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के आरोप के तहत दोषी पाये जाने पर, दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

52. अभियुक्त **बलिराम** को **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–510/2018,** मु0अ0सं0–225/2018, थाना–मेंहदावल, जनपद–संत कबीर नगर के मामले में आरोप अन्तर्गत **धारा–354ख भा0द0सं0 तथा धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के अपराध के आरोप के तहत **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानतदारों की जमानतनामें व अभियुक्त के बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दण्ड के बिन्दु के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली वादहू लंच पेश हो।

दिनॉक–29.06.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

<u>**वादहू लंच :**</u>

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध **बलिराम** न्यायिक अभिरक्षा में है।

दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्क सुने गये।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गरीब है। अभियुक्त का यह पहला अपराध है। अभियुक्त को कम से कम सजा व जुर्माने से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध सामाजिक अपराध है। अभियुक्त ने पीड़िता को विवस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ किया तथा उसके अंगों को स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला कारित किया। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा व जुर्माने से दण्डित किया जाय।

उभय पक्ष की ओर से किये गये तर्कों के प्रकाश में प्रकरण का परिशीलन किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त ने वादिनी पीड़िता को विवस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ किया तथा उसके अंगों को स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला कारित किया। उक्त अपराध न केवल नाबालिग पीड़िता के प्रति है, बल्कि यह समाज के प्रति भी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को प्रथम अपराधी परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता।

दोषसिद्ध अभियुक्त **बलिराम** को **धारा–354ख भा0द0सं0 व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के अपराध में दोषी ठहराया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की **धारा–42** प्रावधानित करती है कि दोषसिद्ध को उस दण्ड से दण्डित किया जाए जो इस अधिनियम के अधीन या भा0द0सं0 के अधीन मात्रा में **गुरूतर** है। प्रस्तुत मामला **वर्ष–2018** का है। तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग पीड़िता के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ करते हुए पीड़िता को विवस्त्र करने, उसके अंगों को स्पर्श करने तथा लैंगिक आशय से लैंगिक हमला करने का अपराध साबित पाया गया है।

इस संबंध में धारा–42 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधान का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा–

धारा–42 आनुकल्पिक दण्ड–जहॉं किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, **धारा 354ख,** धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा–370क, धारा 375, धारा 376 {धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख}, {376ड. या धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 कर 21) की धारा 67ख के अधीन} भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है।

धारा–42 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 आनुकल्पिक दण्ड में धारा–354ख का उल्लेख है। **धारा–354ख भा0द0सं0** में दण्ड के बाबत स्पष्ट उल्लिखित है कि

कारावास, जो **03 वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक** की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। **धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** में दण्ड के बाबत स्पष्ट उल्लिखित है कि–जो कोई लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से **जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी,** दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। अतः धारा–354ख भा0द0सं0 एवं धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 में दण्ड की गुरूतर मात्रा के बाबत तुलना करने पर, **धारा–354ख भा0द0सं0** में दण्ड की मात्रा **गुरूतर** है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध **बलिराम** को धारा–**354ख** भा0 द0सं0 में दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

दोषसिद्ध को निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः

दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम	धारा	कारावास/ सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
बलिराम	**धारा–354ख भा0द0सं0**	**03 वर्ष (तीन वर्ष) सश्रम कारावास**	**3000/–रूपये (तीन हजार रूपये)**	**03 माह साधारण कारावास**

धारा–428 द0प्र0सं0 के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले के कारावास की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर धारा–357 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि मु0 **3000/–रू0** (तीन हजार रूपये) पीड़िता को अपील अवधि पश्चात् बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जावें। अपील होने की दशा में,माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट बना कर जिला कारागार भेजा जावे।

धारा–363(1) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा निर्णय की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, सन्त कबीर नगर को प्रेषित की जाए।

दिनॉक–29.06.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
सन्त कबीर नगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक–29.06.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
सन्त कबीर नगर।

Annexure as per judgment dated 15.12.2025 of Hon'ble SC in Cri. Appeal No. 2973/2023

Chart for Exhibited Documents–

Exhibit no–	Description of Exhibit	Proved by/Attested by
1.	तहरीर वादिनी/पीड़िता	पी0डब्लू0–1
2.	पीड़िता का बयान धारा–164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–2
3.	पीड़िता का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4
4.	पूरक परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4
5.	एस.आर. रजिस्टर की स्व प्रमाणित प्रति	पी0डब्लू0–6
6.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–6
7.	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–6
8.	नक्शा–नजरी	पी0डब्लू0–7
9.	आरोप–पत्र	पी0डब्लू0–7

Chart for Witnesses Examined–

Prosecution Witness no	Name of Witness	Description
1.	बदामी देवी	वादिनी मुकदमा
2.	पीड़िता	वादिनी की पुत्री
3.	धर्मेन्द्र	पीड़िता का पिता
4.	डा0 सबा नुसरत	महिला चिकित्सक
5.	नागेन्द्र	प्रधानाचार्य
6.	बृज नरायन यादव	हेड कान्सटेबल
7.	मनोज कुमार त्रिपाठी	निरीक्षक/विवेचक

Chart for Material Objects/Muddamals

Material Objects	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
–	–	–

दिनॉक–20.05.2026 **(कृष्ण कुमार–V)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.06.29 16:29:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court